[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 05/2023-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 फरवरी, 2023

सा.का.नि. (अ) केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे निरसन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित सारणी में यथा उल्लिखित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को निरस्त करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना
1.	संख्यांक 13/2021-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 2021, संख्यांक सा.का.नि. 71(अ), तारीख 1 फरवरी, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी ।
2.	संख्यांक 34/2022-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2022, संख्यांक सा.का.नि. 487(अ), तारीख 30 जून, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी ।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2023 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/03/2023-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)

अवर सचिव, भारत सरकार